

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 1983/पाष 9, 1905
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 30, 1983/PAUSA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1983

अधिसूचना

मं० 300/83—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां०का०निं० 931(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम,
1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०

1245 GI/83

(1)

234/79—इन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 20 जुलाई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिवृत्ता में, पैरा 2 में, “31 दिसम्बर, 1983” अंकों और शब्दों के स्थान पर “31 दिसम्बर, 1984” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 300/83-के०उ०शु० (फ०सं० 10/2/83-के०उ०शु०)
डी०आर० त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th December, 1983

NOTIFICATION

No. 300/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 931(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 234/79-Central Excises dated the 20th July, 1979 namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of December, 1983”, the figures, letters and words “31st day of December, 1984” shall be substituted.

[No. 300/83-CE (F. No. 10/2/83-CX.I)
B. R. TRIPATHI, Under Secy.